बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था03–05/2021 / 329 /पटना, दिनांक:– 30/09/22

कार्यालय आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का०आ०सं०–113 ज्ञापांक–580 दिनांक–30.03.2022 के आलोक में पदस्थापन के प्रतीक्षारत नवनियुक्त निम्नलिखित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	नाम/जन्म तिथि	गृह जिला	निदेशालय मुख्यालय में योगदान की तिथि	पदस्थापित कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकेश कुमार 10.01.1986	समस्तीपुर	05.09.2022 (पूर्वाह्न)	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीतामढ़ी

2. उपर्युक्त नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/ प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) का योगदान कॉलम– 4 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया गया है। उनके वेतनादि का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से उसी कार्यालय से किया जायेगा जहाँ उनका पदस्थापन किया गया है।
3. पदस्थापन स्थान पर योगदान देने/प्रभार ग्रहण हेतु कोई यात्र/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
4. पूर्व वृत्त सत्यापन (Police verification) प्रतिकूल पाये जाने पर यह नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।
5. मूल प्रमाण–पत्र जॉच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
6. नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक /अन्वेषक) जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत् है/थे, उन्हें प्रभार ग्रहण के समय संबंधित विभाग का त्याग–पत्र स्वीकृति/कार्य विमुक्ति/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी इसकी जॉच कर आश्वस्त हो लेने के पश्चात ही प्रभार ग्रहण करायेंगे।
7. यदि इस कार्यालय आदेश में कोई भूल अथवा टंकन आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।
8. उपर्युक्त कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने पदस्थापन स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से निदेशालय, मुख्यालय, बिहार, पटना को भेज देगें।

9. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की योगदान की स्वीकृति स्वयं पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर करेंगे, तथा योगदान प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) अपने पदस्थापन स्थान पर 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

11. पदस्थापन आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांक– अ०सां०नि०/स्था03–05/2021 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– अ०सां०नि०/स्था03–05/2021 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– अ०सां०नि०/स्था03–05/2021 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– अ०सां०नि०/स्था03–05/2021 /1724/पटना, दिनांक– 30/09/22

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय आदेश की प्रति निदेशालय के वेब–साईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक